

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
जिला अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

करण संख्या:- 100/2024

पत्र अन्तर्गत धारा संख्या:- 53 आरटीए

धापीदेवी पत्नी रामप्रताप जाति कुम्हार (प्रजापति)साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ (राजस्थान)

--वादीया--

बनाम

- 1-चन्द्रराम पुत्र मनसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया
- 2-बुधराम पुत्र लेखू जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया
- 3-भूरीदेवी पत्नी मनसाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया(राज.)
- 4-रामलाल पुत्र लेखू जाति कुम्हार (प्रजापति)साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया (राज.)
- 5-भागीरथ पुत्र हुणता जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा।
- 6-तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यहाँ राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई  
रुब रुब बहाजरी श्री औमप्रकाश शर्मा वकील वादीया मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादी.....

मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

1. धापीदेवी पत्नी रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी की कब्जा काश्त भूमि:-

चक 8 एनकेआर खाता संख्या 40/82


प.न.	मु.न.	किला नम्बर
125/154	45	18 ता 22/1.265 है.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार  
संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये  
जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1411 दिनांक 28.04.  
2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान  
अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋण काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के  
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....1.50.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना  
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्ल मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 8.5.2025.....को खुले न्यायालय में  
जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
महापंचक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया